भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2036

जिसका उत्तर 17.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-36 पर संरचनात्मक क्षति, दरारें और जलभराव

2036 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश और चक्रवाती मौसम के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग-36 (या इसके संबंधित खंड) के बीच चार लेन वाली सड़क सहित कई राजमार्ग खंडों को संरचनात्मक क्षति हुई है, दरारें पड़ गई हैं और जलभराव हो गया है;

(ख) क्या जिले के सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के लिए तत्काल सर्वेक्षण और क्षति-आकलन का आदेश दिया गया है;

(ग) बार-बार होने वाली क्षति को रोकने के लिए इन सड़कों की मरम्मत करने और इन्हें जलवायु-रोधी बनाने की योजना और समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय सुरक्षित संपर्क सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए डेल्टा जिलों में मानसून-प्रवण राजमार्ग खंडों के लिए विशेष वित्त पोषण या प्राथमिकता आधार पर मरम्मत करने का विचार रखता है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनमें एनएच-36 (विक्रवंडी-कुंभकोणम-तंजावुर कॉरिडोर, किलोमीटर 0+000 से किलोमीटर 164+280 तक) शामिल है, पर किसी प्रकार की संरचनात्मक क्षति या दरारें होने की सूचना नहीं मिली है। तथापि, उक्त कॉरिडोर पर चार स्थानों पर अर्थात् किमी 74.600 से किमी 74.900, किमी 95.500 से किमी 95.800, किमी 126.350 से किमी 126.500 (सर्विस रोड) और किमी 130.450 से किमी 130.500 (एराहरम) में जलभराव की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्यीय सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया गया और आकलन के आधार पर, संचित जल को यथाशीघ्र निकालने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं ताकि यातायात की सुचारू और सुरक्षित

आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। एनएच-36 के साथ चिन्हित स्थानों पर सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) किमी 74.600 से किमी 74.900: श्रीमुश्नाम से सेथियाथोपे तक चौराहे पर एक बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया गया है, जिससे जलभराव की समस्या का समाधान हो गया है।

(ii) किमी 95.450 से किमी 95.800: एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) नाली के निर्माण के लिए, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है जिसके लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(iii) किमी 126.350 से किमी 126.500 (सर्विस रोड): एक कंक्रीट नाली का निर्माण किया गया है जिससे समस्या का समाधान हो जाना चाहिए।

(iv) किमी 130+450 से किमी 130+500: जलभराव की समस्या का समाधान के लिए एक मिट्टी की नाली का निर्माण किया गया है।

(घ) परियोजना गलियारों का अनुरक्षण इंनजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) संविदाकारों/हाईब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) रियायतग्राहियों द्वारा संबंधित संविदा/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। जहां कोई अनुबंध लागू नहीं है, वहां ऐसे खंड निष्पादन आधारित अनुरक्षण अनुबंध (पीबीएमसी)/अल्पकालिक अनुरक्षण अनुबंध (एसटीएमसी) के अंतर्गत आते हैं।

*****